**समाजशास्त्र**

**बी.ए. प्रथम वर्ष**

**समाजशास्त्र के आधारभूत अवधारणाओं का परिचय**

**अध्याय: विवाह**

**डॉ वीरेंद्र सिंह यादव**

**समाजशास्त्र विभाग**

**संदर्भ:**

**साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा**

**प्रोफेसर एम एल गुप्ता**

**डॉक्टर डी डी शर्मा**

 **ईसाई विवाह**

ईसाई धर्म में विवाह के संबंध में दो प्रकार की विचारधाराएं पाई जाती हैं। प्रथम विचारधारा स्त्री को दूर रखने के आदर्श से संबंधित है। सेंट पॉल ने बताया है कि मनुष्य के लिए यह बेहतर है कि वह स्त्री का स्पर्श ना करें। आगे आप ने कहा है कि मैं अविवाहितों और विधवाओं से कहता हूं कि यह उनके लिए अच्छा है कि वह मेरे समान अविवाहित जीवन व्यतीत करें। सेंट पॉल ने श्री को धर्म कार्य और मोक्ष के मार्ग में बाधक माना है। अतः व्यक्ति को ब्रह्मचार्य में जीवन बिताना चाहिए विवाह नहीं करना चाहिए। दूसरी विचारधारा के अनुसार विभाग को ईश्वर की इच्छा और आज्ञा माना जाता है। सेंट पॉल ने कहा है कि मनुष्य को स्त्री के स्पर्श से बचना चाहिए परंतु फिर भी अनुचित यौन संबंध को रोकने के लिए प्रत्येक पुरुष की अपनी पत्नी और प्रत्येक स्त्री का अपना पति होना चाहिए। आगे आपने बताया है कि यदि अविवाहित और विद्वान संयम नहीं रख सकती हो तो पाप करते जलने की अपेक्षा विवाह करना उपयुक्त है। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के विकास के फलस्वरुप ईसाइयों में विवाह संबंधी धारणा में परिवर्तन आया। इस संप्रदाय के अनुसार परिवार की स्थापना ईश्वर इच्छा के अनुरूप ही है तथा विवाह परिवार की स्थापना के लिए आवश्यक है। विवाह किसी भी रूप में पाप या अधार्मिक नहीं है। ईसाइयों में विवाह को केवल यौन इच्छाओं की पूर्ति एवं संतान उत्पत्ति का साधन मात्र नहीं माना गया है। विवाह एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसके माध्यम से पति-पत्नी में शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक संबंध स्थापित होते हैं। विवाह संबंधी इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर अनेक पादरी विवाह करने लगे हैं।

 **ईसाई विवाह के उद्देश्य**

* यौन संबंध
* पारस्परिक सहयोग
* परिवार की स्थापना
* पवित्र जीवन का विकास

**ईसाइयों में विवाह के प्रकार**

1. धार्मिक विवाह--- ऐसे विवाह को निर्धारण साधारणत: लड़के लड़की माता-पिता या परिजनों द्वारा होता है। यह विवाह गिरजाघर में संपन्न किए जाते हैं।

सिविल मैरिज--- ऐसे विवाह के लिए लड़के लड़की को मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय में उपस्थित होकर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है। ईसाइयों में सिविल मैरिज की अपेक्षा आज भी धार्मिक विवाह अधिक होते है।

 **ईसाइयों में विवाह पद्धति**

ईसाइयों में विवाह को जीवन भर का एक पवित्र बंधन माना जाता है जिसमें विवाह विच्छेद को कोई स्थान नहीं दिया गया है। यह विवाह एक पुरुष और एक स्त्री का ही पवित्र मिलन है। इन लोगों में एक से अधिक पति या पत्नीयों का प्रचलन नहीं है। विवाह के लिए जब जीवनसाथी का चुनाव अंतिम रूप से कर लिया जाता है और वधू पक्ष वर पक्ष द्वारा रखे गए विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो सगाई या मंगनी का संस्कार संपन्न होता है। किसी निश्चित दिन भर पक्ष और वधू पक्ष वाले अपने परिजनों एवं मित्रों सहित गिरजाघर में पहुंच जाते हैं। वर पक्ष वाले अपने साथ मिठाई, नारियल, वस्त्र, अंगूठी तथा रुपए आदि ले जाते हैं। इस अवसर पर होने वाले वर-वधू पास पास बैठा है जाते हैं और पादरी बाइबल के कुछ अंश पड़ता है। यहां औपचारिक रूप से वैवाहिक संबंधों की वर-वधू द्वारा स्वीकृति प्राप्त की जाती है। दोनों ही एक दूसरे को अंगूठियां पहन आते हैं और इस अवसर पर मंगनी की घोषणा कर दी जाती है। इसके बाद मिठाई वितरण, जलपान आदि होता है।

कुछ परिवारों में लोग गिरजा घरों में इस प्रकार का धार्मिक विवाह ना करके सिविल मैरिज करते हैं। सिविल मैरिज अदालत की सहायता से किया गया एक मामूली समझौता मात्र होता है। इसके लिए विवाह इच्छुक लड़के लड़की को रजिस्ट्रार को प्रार्थना पत्र देना होता है और कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है। सिविल मैरिज करने वाले पति पत्नी आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु गिरजाघर में भी जाते हैं। ईसाइयों में अधिकांश विवाह धार्मिक विवाह ही होते हैं, जो गिरजाघर में संपन्न किए जाते हैं।

 **ईसाइयों में विवाह विच्छेद**

ईसाई धर्म विवाह विच्छेद की स्वीकृति नहीं देता। इनके किसी भी गिरजाघर में विवाह विच्छेद की घोषणा नहीं की जाती। किसी भी चर्च में ना तो विवाह विच्छेद किया जा सकता है और ना ही विवाह विच्छेद करने वाले स्त्री-पुरुष वहां पुनः विवाह कर सकते हैं। पहले जीवनसाथी की मृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात ही चर्च से पुनर्विवाह की आज्ञा प्रदान करता है। यदि कोई पक्ष निषेधात्मक संबंधों के अंतर्गत आता हो, पागल हो गया हो या दूसरे पक्ष के साथ क्रूरता का व्यवहार करता हो तो ऐसी परिस्थिति में चर्च उन्हें वैवाहिक पृथक्करण की आज्ञा देता है। विवाह विच्छेद के संबंध में ईसा मसीह ने कहा है, “ वे दोनों एक जिस्म होंगे, बस वे दो नहीं बल्कि यह जिस्म है। इसलिए जैसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करें।

 **ईसाई विवाह में आधुनिक परिवर्तन**

* धार्मिक पक्ष कमजोर पड़ता जा रहा है
* रोमांस का महत्व बढ़ता जा रहा है
* वैवाहिक निषेधो में शिथिलता
* विवाह विच्छेद की प्रवृत्ति और बढ़ती जा रही है
* आजकल विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया जा रहा है

इन सब परिवर्तनों के कारण ईसाइयों में विवाह एक साधारण सा समझौता मात्र रह गया है जिसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है तथा कभी भी किसी भी स्त्री अथवा पुरुष से पुनर्विवाह किया जा सकता है। इनमें पारिवारिक अस्थिरता आज एक समस्या का रूप ग्रहण करती जा रही है।